अपर जिला न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि0)
न्यायालय संख्या -27, आगरा

UPAG010031342024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 27, आगरा।
पीठासीन अधिकारी (सोनिका चौधरी) (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06195
विशेष सत्र वाद सं0 517–2024

दण्डादेश दिनांक–30.10.2024
निर्णय की दिनांक–24.10.2024
मु0अ0सं0–440/2023
धारा: 376क, 302, 201 भा0द0सं0
एवं धारा 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम
थाना: एत्मादपुर, जिला आगरा।

नकल. निर्णय

अपराध की दिनांक	30.12.2023
एफ.आई.आर. की दिनांक	30.12.2023
आरोप पत्र की दिनांक	30.01.2024
आरोप विरचित की दिनांक	13.03.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने का दिनांक	18.03.2024
निर्णय दिनांक	24.10.2024
दण्डादेश दिनांक	30.10.2024

अभियुक्त का विवरण– राजवीर पुत्र पातीराम, निवासी–नगला केसरी थाना एत्मादपुर, आगरा।

..........................**अभियुक्त**

मौखिक साक्ष्य
अभियोजन साक्षी–

पी0डब्लू0 1	वादी मुकदमा पीडिता का पिता
पी0डब्लू0 2	पीडिता की दादी
पी0डब्लू0 3	पीडिता के चाचा
पी0डब्लू0 4	रामनिवास
पी0डब्लू0 5	एच.सी. सतेन्द्र सिंह
पी0डब्लू0 6	अशोक कुमार
पी0डब्लू0 7	डॉक्टर वैभव कुलश्रेष्ठ
पी0डब्लू0 8	डॉक्टर अनुराग सिंह
पी0डब्लू0 9	प्रदीप कुमार
पी0डब्लू0 10	इंस्पेक्टर विजय विक्रम सिंह

	ए.सी.पी. सुकन्या शर्मा
पी0डब्लू0 11	प्रधानाचार्य सुमित कुमार
पी0डब्लू0 12	अर्पित उर्फ भोला
पी0डब्लू0 13	डॉक्टर अजय कुमार गर्ग
पी0डब्लू0 14	दिलीप यादव
पी0डब्लू0 15	

अभियोजन प्रलेखीय साक्ष्य मय प्रदर्श–

क.सं.	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श क–1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श क–2	पंचायतनामा
3.	प्रदर्श क–3	फर्द आला कत्ल
4.	प्रदर्श क–4	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट
5.	प्रदर्श क–5	जी.डी. मुकदमा कायमी
6.	प्रदर्श क–6	फर्द बरामदगी लेने कब्जा अभियुक्त एक अदद शर्ट
7.	प्रदर्श क–7	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
8.	प्रदर्श क–8	सी.सी.टी.वी. फुटैज पैन ड्राइव के बावत लिया गया प्रमाण पत्र 65ख
9.	प्रदर्श क–9	घटनास्थल(शव बरामदगी) नक्शा नजरी
10.	प्रदर्श क–10	अभियुक्त राजवीर का गिरफ्तारी मीमो
11.	प्रदर्श क–11	शर्ट बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी
12.	प्रदर्श क–12	आला कत्ल बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी
13.	प्रदर्श क–13	पैन ड्राइव
14.	प्रदर्श क–14	आरोप पत्र
15.	प्रदर्श क–15	फोटो नाश
16.	प्रदर्श क–16	पुलिस आयुक्त द्वारा सी.एम.ओ. आगरा को प्रेषित प्रार्थनापत्र
17.	प्रदर्श क–17	पुलिस फॉर्म संख्या 13 प्रपत्र
18.	प्रदर्श क–18	शव की भेजी गयी सील विवरण कागज संख्या–6ए/14
19.	प्रदर्श क–19	आर.आई. द्वारा सी.एम.ओ. को प्रेषित पत्र
20.	प्रदर्श क–20	एस.आर. रजिस्टर की प्रति
21.	प्रदर्श क–21	उपस्थिति पंजिका की प्रति
22.	प्रदर्श क–22 लगायत क–26	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पांच रिपोर्ट

मुकदमे से सम्बन्धित बरामद वस्तुयें:–

1.	वस्तु प्रदर्श–1	शर्ट
2.	वस्तु प्रदर्श–2	पत्थर
3.	वस्तु प्रदर्श–3	कपड़े
4.	वस्तु प्रदर्श–4	एक प्लास्टिक पन्नी में अधजली बीडी
5.	वस्तु प्रदर्श–5	प्लास्टिक पन्नी थैली
6.	वस्तु प्रदर्श–6	घटनास्थल दिली

		शराब का खाली क्वार्टर
7.	वस्तु प्रदर्श–7	थैली में एक खाली ढक्कन
8.	वस्तु प्रदर्श–8	थैली
9.	वस्तु प्रदर्श–9 ता 11	दूसरी प्लास्टिक की थैली में 3 अद्द देशी शराब क्वार्टर फाइटर
10.	वस्तु प्रदर्श–12	ग्लास प्लास्टिक
11.	वस्तु प्रदर्श–13	थैली
12.	वस्तु प्रदर्श–14	घटनास्थल दिलीप के बाड़े के पीछे से बरामद एक अद्द प्लास्टिक ग्लास
13.	वस्तु प्रदर्श–15	घटनास्थल दिलीप के बाड़े के पीछे से बरामद ढक्कन
14.	वस्तु प्रदर्श–16	थैली
15.	वस्तु प्रदर्श–17	रक्त रंजित मिट्टी
16.	वस्तु प्रदर्श–18	पत्ते
17.	वस्तु प्रदर्श–19	रक्त रंजिश पत्ते
18.	वस्तु प्रदर्श–20	थैली पर खाकी लिफाफा
19.	वस्तु प्रदर्श–21	कपड़े पर
20.	वस्तु प्रदर्श–22	सादा मिट्टी
21.	वस्तु प्रदर्श–23	खाली थैली
22.	वस्तु प्रदर्श–24	कपड़े पर
23.	वस्तु प्रदर्श–25	प्लास्टिक बोरी का टुकड़ा
24.	वस्तु प्रदर्श–26	खाकी लिफाफा
25.	वस्तु प्रदर्श–27	सफेद कपड़ा
26.	वस्तु प्रदर्श–28	सादा प्लास्टिक की बोरी का टुकड़ा
27.	वस्तु प्रदर्श–29	खाकी लिफाफा
28.	वस्तु प्रदर्श–30	कपड़े पर
29.	वस्तु प्रदर्श–31 ता 32	लकड़ी के टुकड़े
30.	वस्तु प्रदर्श–33	सफेद कपड़ा
31.	वस्तु प्रदर्श–34	पैन ड्राइव सील का कपड़ा
32.	वस्तु प्रदर्श–35	बाल पर पर्जी के साथ
33.	वस्तु प्रदर्श–36	सफेद कागज
34.	वस्तु प्रदर्श–37	खाली लिफाफा
35.	वस्तु प्रदर्श–38	सफेद कपड़ा
36.	वस्तु प्रदर्श–39	परखनली
37.	वस्तु प्रदर्श–40	सफेद लिफाफा
38.	वस्तु प्रदर्श–41	नमूना प्राप्त कराने वाला सफेद कपड़ा
39.	वस्तु प्रदर्श–42	सफेद कपड़ा
40.	वस्तु प्रदर्श–43	पीली पॉलिथीन

41.	वस्तु प्रदर्श–44	पाजामी
42.	वस्तु प्रदर्श–45	गर्म बनियान
43.	वस्तु प्रदर्श–46	स्वेटर लाल रंग
44.	वस्तु प्रदर्श–47	टी–शर्ट के टुकड़े
45.	वस्तु प्रदर्श–48	औरेंज लिफाफे
46.	वस्तु प्रदर्श–49 ता 53	पांच खाकी लिफाफे
47.	वस्तु प्रदर्श–54 ता 55	वस्तु प्रदर्श 49 से निकली दो स्लाइडों पर लिपटे कागज
48.	वस्तु प्रदर्श–56 ता 57	वस्तु प्रदर्श 49 से निकली दो स्लाइड
49.	वस्तु प्रदर्श–58	वस्तु प्रदर्श 50 से निकली एक नली पर नली
50.	वस्तु प्रदर्श–59 ता 60	लिफाफा वस्तु प्रदर्श 51 से निकली दोंनो स्लाइड पर लिपटे कागज
51.	वस्तु प्रदर्श–61 ता 62	लिफाफा वस्तु प्रदर्श 51 से प्राप्त दोनों स्लाइडों पर
52.	वस्तु प्रदर्श–63	लिफाफा वस्तु प्रदर्श 52 से एक स्वैब नली
53.	वस्तु प्रदर्श–64	लिफाफा वस्तु प्रदर्श 53 से निकली स्वैब नली

निर्णय

1. आरोप की प्रकृति

प्रस्तुत मामले में थाना एत्मादपुर, जिला आगरा की पुलिस द्वारा अभियुक्त राजवीर के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 440/2023 अन्तर्गत धारा 376क, 302, 201 भा०दं०सं० एवं धारा 5एम/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रदर्श क–14 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

2. अभियोजन तथ्यात्मक परिस्थितियॉं

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पीडिता के पिता ने एक लिखित तहरीर थानाध्यक्ष, थाना एत्मादपुर, आगरा को इस आशय की दी कि दिनांक–30.12.2023 को मेरी पुत्री पीडिता **(निर्णय में पीड़िता का नाम व पहचान उजागर न हो इसलिए निर्णय में सम्बोधन "पीड़िता/मृतका" शब्द के रूप में रहेगा तथा उसके पते, माता–पिता के नाम व अन्य पहचान संबंधी विवरण का उल्लेख नही किया जा रहा है)** उम्र करीब 7 वर्ष घर से लगभग एक बजे दोपहर से गायब थी, जिसको परिवारीजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शाम करीब 5.30 बजे मेरी लड़की मृत अवस्था में दिलीप यादव के प्लॉट के पीछे दीवाल के किनारे पड़ी मिली, जिसके सिर पर चोटें थीं और बायें हाथ की उंगली भी कटी थी, जिसको किसी ने हत्या करके फैक दिया है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

3. विवेचना कार्यवाही

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4, अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत थाना एत्मादपुर, जिला आगरा में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत [illegible] प्रारम्भ की गयी।

विवेचना तत्कालीन निरी[illegible] दौराने विवेचना [illegible]

की गिरफ्तारी व जुर्म इकबाल करने के उपरान्त अभियुक्त राजवीर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त राजवीर के विरुद्ध धारा 376क, 302, 201 भा0दं0सं0 एवं धारा 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम के अर्न्तगत अपराध किये जाने के बावत आरोप–पत्र प्रदर्श क–14 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. आरोप

न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजवीर के विरुद्ध प्रेषित उक्त आरोप–पत्र पर मामले का संज्ञान लिया गया।

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आरोप विरचन का पर्याप्त आधार पाते हुये, न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2024 को अभियुक्त राजवीर के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 376क, 302, 201 भा0दं0सं0 एवं धारा 5एम/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विरचित किये गये। अभियुक्त द्वारा आरोपों से निर्दोष होने का अभिवाक किया गया तथा विचारण की याचना की गयी।

5. अभियोजन साक्ष्य

दौरान विचारण, अभियोजन द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रुप में पी0डब्ल्यू0 1 वादी मुकदमा पीडिता के पिता, पी0डब्लू0 2 पीडिता की दादी, पी0डब्लू0 3 पीडिता के चाचा, पी0डब्लू0 4 रामनिवास, पी0डब्लू0 5 एच.सी. सतेन्द्र सिंह, पी0डबलू0 6 अशोक कुमार, पी0डबलू0 7 डॉक्टर वैभव कुलश्रेष्ठ, पी0डबलू0 8 डॉक्टर अनुराग सिंह, पी0डबलू0 9 प्रदीप कुमार, पी0ड. बलू0 10 इंस्पेक्टर विजय विक्रम सिंह, पी0डब्लू 11 ए.सी.पी. सुकन्या शर्मा, पी0डबलू0 12 प्रधानाचार्य सुमित कुमार, पी0डबलू0 13 अर्पित उर्फ भोला, पी0डबलू0 14 डॉक्टर अजय कुमार गर्ग व पी0डब्लू0 15 दिलीप यादव को परीक्षित कराया गया है।

6. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श क–1, पंचायतनामा प्रदर्श क–2, फर्द आला कत्ल प्रदर्श क–3, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4, जी.डी. मुकदमा कायमी प्रदर्श क–5, शर्ट अभियुक्त फर्द लेने कब्जा प्रदर्श क–6, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–7, सी.सी.टी.वी. फुटैज पैन ड्राइव के बावत लिया गया प्रमाण पत्र प्रदर्श क–8, घटनास्थल निरीक्षण नक्शा नजरी प्रदर्श क–9, अभियुक्त राजवीर का गिरफ्तारी मीमो प्रदर्श क–10, शर्ट बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–11, आला कत्ल बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–12, पैन ड्राइव प्रदर्श क–13, आरोप पत्र प्रदर्श क–14, फोटो नाश प्रदर्श क–15, पुलिस आयुक्त द्वारा सी.एम.ओ. आगरा को प्रेषित प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–16, चालान नाश प्रपत्र संख्या–13 प्रदर्श क–17, शव की भेजी गयी सील विवरण कागज संख्या–6ए/14 प्रदर्श क–18, आर.आई. द्वारा सी.एम.ओ. को प्रेषित पत्र प्रदर्श क–19, एस.आर. रजिस्टर की प्रति प्रदर्श क–20, उपस्थिति पंजिका की प्रति प्रदर्श क–21 व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पांच रिपोर्ट प्रदर्श क–22 लगायत 26 प्रस्तुत किये गये हैं।

7. कथन अभियुक्त धारा 313 दं0प्र0सं0

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्त का बयान अर्न्तगत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक–10.06.2024 को एवं अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 दिनांक–01.08.2024 व दिनांक–13.09.2024 को अभिलिखित किये गये।

"अभियुक्त के द्वारा अपने बयान अर्न्तगत धारा 313 दं0प्र0सं0 व अतिरिक्त बयान 313 द0प्र0सं0 में कथन करते हुये अभियोजन कथानक को असत्य बताते हुये पुलिस को कोई घटनास्थल न दिखाने, पुलिस द्वारा झूठा मुकदमे में फंसाने एवं पीडिता का कभी पास न आने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ने कोई पत्थर बरामद करके नहीं दिया तथा समस्त लिखापढी अभियुक्त के थाने पर जाने पर ही की गयी है। विवेचक ने पत्थर बरामदगी और शर्ट बरामदगी के गवाह अलग–अलग दिखाए हैं, जबकि दोनों ही स्थल एक ही प्लॉट में स्थित थे। पुलिस अभियुक्त को दिलीप यादव के प्लॉट, जहां वह चौकीदारी करता था, को पूछताछ करने के लिये ले गये और फर्जी बरामदगी और डरा धमकाकर बरामदगी पर हस्ताक्षर करा लिये। अभियुक्त से कुछ बरामद नहीं बताया है तथा यह भी कथन किया कि अर्पित आरोप पत्र में साक्षी नहीं है बाद में गवाह बनाया गया है। अभियुक्त

प्रकार के अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया, ईश्वर भी देश व समाज में बेटी देने से घबरायेगा।

158. अभियुक्त द्वारा अबोध बालिका के खेलते समय गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया तथा उपरोक्त अपराध के दौरान उपहति कारित कर मृत्यु कारित की व साशय हत्या कारित की गयी तथा अपने घिनौने कृत्य को छिपाने हेतु शव को दीवार के पीछे फेंक दिया गया। बलात्कार जैसा जघन्य अपराध मात्र शरीर के विरूद्ध नहीं है, अपितु किसी भी बालक, बालिका या स्त्री की आत्मा के विरूद्ध भी कारित किया जाता है। आज भी नन्ही जान की आत्मा अभियुक्त के नृशंस व बर्बरतापूर्वक कृत्य से चीत्कार रही होगी। अभियुक्त के आचरण से किसी भी स्तर पर यह परिलक्षित नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा भावुकतावश या आवेश या उतावलेपन में अबोध असहाय बा. लिका के विरूद्ध बलात्कार तथा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया, अपितु अभियुक्त द्वारा सोच समझकर कामवासना की पूर्ति हेतु योनि मार्ग द्वारा गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुये उपहति कारित कर मृत्यु व साशय हत्या कारित की गयी तथा शव भी छिपा दिया गया। अभियुक्त राजवीर द्वारा निःसंदेह ही अबोध नाबालिग बालिका की हत्या Cold Blooded Murder की श्रेणी में है। यदि न्यायालय इस प्रकार की पाश्विक, नृशंस व बर्बर अपराध में भी उदारता अपनाता है, तो यह समाज व मानवता के साथ अन्याय होगा। अभियुक्त का अपराध विधि के साथ साथ मानवता को भी शर्मसार करने वाला है, जो कि सामाजिक ढांचे को नष्ट करने की श्रेणी का अपराध है। अभियुक्त राजवीर द्वारा कारित अपराध व कृत्य विरल से विरलतम(Rarest of the rare) की श्रेणी में है तथा अभियुक्त कठोरतम दण्ड का अधिकारी है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को मृत्यु दण्ड देने पर ही मृतक अबोध पीडिता व समाज को न्याय दिया जाना संभव है, जिससे कि समाज स्वयं को व अपने अबोध बालकों को इस प्रकृति के दानव व नरपिशाच से बचा सके तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का भी उद्देश्य पूर्ण हो सके।

159. अभियुक्त दण्ड के उद्देश्यार्थ तथा दण्ड का आपराधिकता के अनुरूप होने के आधारभूत सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अभियोग की समस्त साक्ष्यिक परिस्थितियों व अभियुक्त की आयु, व्यक्तिगत व पारिवारिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु यह न्यायालय दोषसिद्ध अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित करने का पर्याप्त आधार पाती है।

<u>**दण्डादेश**</u>

1. विशेष सत्रवाद संख्या **517/2024** अपराध संख्या **440/2023** राज्य बनाम राजवीर पुत्र पातीराम, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा के अन्तर्गत दोषसिद्ध अभियुक्त **राजवीर** को **धारा 376क भा0दं0सं0** के अन्तर्गत **मृत्यु दण्ड** से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त राजवीर को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाये, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाये।(Accused to be hanged by the neck until he is dead.)

2. दोषसिद्ध अभियुक्त **राजवीर** को **धारा 302 भा0द0सं0** के अन्तर्गत **मृत्यु दण्ड** से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त राजवीर को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाये, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाये। (Accused to be hanged by the neck until he is dead.) दोषसिद्ध अभियुक्त को अंकन **एक लाख रूपये/- अर्थदण्ड** से भी दण्डित किया जाता है, जिसके अदा न करने की दशा में अभियुक्त एक वर्ष का साधारण कारावास भोगेगा।

3. दोषसिद्ध अभियुक्त राजवीर को धारा-201 भा0द0सं0 के अन्तर्गत **7 वर्ष** के **सश्रम कारावास** व **अंकन 25 हजार रूपये** के **अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध अभियुक्त 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

4. दोषसिद्ध अभियुक्त राजवीर को धारा-**5एम/6 लैंगिक अपराधों से बाल. कों का संरक्षण अधिनियम 2012(संशोधन अधिनियम 2019)** के अन्तर्गत **मृत्यु दण्ड** से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त राजवीर को गर्दन में फांसी लगाकर तब

तक लटकाया जाये, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाये।(Accused to be hanged by the neck until he is dead.)

5. अर्थदण्ड की समस्त धनराशि पीड़िता के माता–पिता को प्रदान की जायेगी।

6. दोषसिद्ध अभियुक्त की समस्त सजायें साथ–साथ चलेंगी तथा प्रस्तुत सत्रवाद में दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा पूर्व में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि को सजा में नियमानुसार समायोजित किया जायेगा।

7. दोषसिद्ध अभियुक्त का मृत्यु दण्ड का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय से दण्डादेश की पुष्टि होने तक स्थगित रहेगा।

8. धारा–366 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि हेतु पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को नियमानुसार प्रेषित की जाये।

9. दोषसिद्ध अभियुक्त राजवीर न्यायिक अभिरक्षा में है। दोषसिद्ध का धारा 366(2) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्धि अभिरक्षा वारण्ट दण्ड प्रकिया संहिता के द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रारूप संख्या 40 के अनुसार बनाकर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार, आगरा प्रेषित किया जाये।

10. दोषसिद्ध अभियुक्त को सामान्य नियमावली(दाण्डिक) के नियम 43 के अनुपालन में 30 दिन के भीतर अपील करने के अधिकार के सम्बन्ध में सूचित किया गया।

11. निर्णय की निःशुल्क प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त राजवीर को अविलम्ब प्रदान की जाये।

12. निर्णय की एक प्रति अधीक्षक जिला कारागार, आगरा को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

13. धारा 365 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, आगरा को प्रेषित की जाये।

दिनांक 30.10.2024

ह0
(सोनिका चौधरी)
विशेष न्यायाधीश (Pocso Act, Exclusive Court)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 27, आगरा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित एंव उद्घोषित किया गया।

दिनांक 30.10.2024

ह0
(सोनिका चौधरी)
विशेष न्यायाधीश (Pocso Act, Exclusive Court)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 27, आगरा।

True Copy
30/10/2024
Session clerk
न्यायालय 27, आगरा

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, आगरा को प्रेषित।